उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-155/2017/788/92-2-17-14जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 21 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में अर्न्तग्रस्त कार्मिको को अपरोक्ष रूप से संरक्षण दिये जाने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-65/2016/1928/92-2-2016-14जांच/2016 दिनांक 20.10.2016 द्वारा श्री राम प्रकाश सिंह, तत्का0 प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये उक्त अनुशासनिक जॉच के सम्पादनार्थ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-71/2016/2042/92-2-16-14जांच/2015 दिनांक 19.11.2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-48/2017/201/92-2-2017-14जांच/2016 दिनांक 17.03.2017 द्वारा पुन: जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुए विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के स्थान पर श्री गया प्रसाद कमल, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के उक्त संदर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 20-10-2016 के विरूद्ध श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 03-05-2017 शासन को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण प्रखण्ड-बाराबंकी से संबंधित है। मूल प्रकरण में अर्न्तग्रस्त अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित है। श्री राम प्रकाश सिंह तत्समय प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ थे, अस्तु वे मूल प्रकरण से सीधे तौर पर अर्न्तग्रस्त नही थे। श्री सिंह के विरूद्ध केवल यह आरोप है कि शासन द्वारा मांगी गयी आख्या भेजने में 02 माह का विलम्ब हुआ। परीक्षण करने पर यह विलम्ब प्रक्रियात्मक पाया गया। ऐसी स्थिति में तत्का0 प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता के विरूद्ध मात्र 02 माह के प्रक्रियात्मक विलम्ब के लिए उन्हे दोषी ठहराया जाना उचित नही है। अत: श्री राम प्रकाश सिंह के उक्त प्रत्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-65/2016/1928/92-2-2016-14जांच/2016 दिनांक 20.10.2016 द्वारा श्री राम प्रकाश सिंह, तत्का0 प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- सहारनपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जॉच अधिकारी नामित किये जाने संबंधी समस्त कार्यालय ज्ञाप निरस्त करने के साथ ही श्री राम प्रकाश सिंह के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशासिनक कार्यवाही दिनांक 20.10.2016 को निरस्त किये जाने कि श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 155/2017/788(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/श्री गया प्रसाद कमल, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन।

3- श्री राम प्रकाश सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर सम्प्रति-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।